न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–17/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00014)

1. नगर परिषद सीकर जरिये आयुक्त श्री श्रवण कुमार विश्नोई, वर्तमान कार्यरत, नगर परिषद सीकर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. गुलाबदास जी की बगीची, रामलीला मैदान के पास, सीकर तहसील व जिला सीकर, जरिये गदीनशीनी मोहनदास चेला स्व. कानदास,
2. तहसीलदार तहसील सीकर जिला सीकर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 26.02.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 11.04.2016 (प्रकरण संख्या 17/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विधान संचिका पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य–सबूतों के सर्वथा प्रतिकूल होने की वजह से अपास्त किये जाने योग्य हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये जो अपीलधीन आदेश पारित करवाया है वह विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रश्नगत प्रकरण नगर परिषद सीकर के अधीन आबादी भूमि जो प्रश्नगत प्रकरण में जैरकार है, जो पूर्व में गैर0मु0 आबादी में दर्ज थी इस प्रकार गै0मु0 आबादी भूमि को विकसित करने एवं सुविधा अनुसार पट्टे जारी करने हेतु नगर परिषद अधिकृत है तथा आबादी भूमि पर नगर परिषद का कानूनन अधिकार निहित है लेकिन बिना नगर परिषद को प्रकरण में फरीक बनाये ही जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह गलत है एवं काबिले निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि सार्वजनिक स्थल की भूमि को किसी व्यक्ति विशेष के नाम इन्द्राज करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई विधिक अधिकार नही है क्योंकि आबादी भूमि पर राजस्व न्यायालय को किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित करने का विधिक अधिकार नही है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य को नजर अन्दाज करते हुये पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय से जो अनुतोष प्राप्त किया है वह अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित नही कर सकती है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश की कोई विधिक मान्यता, विधिक प्रभाव, विधिक महत्व, विधिक अस्तित्व नही है जिसको अपास्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.11.2017 को उक्त भूमि पर निमार्ण करने की कोशिश की तो अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आबादी भूमि पर बिना नगर परिषद की अनुमति के निमार्ण करने से मना किया तो रेस्पोडेन्ट ने उक्त निर्णय की प्रति दिखाई जिस पर अपीलान्ट द्वारा नकल हेतु दिनांक 22.11.2017 को आवेदन किया, जिसकी नकल तैयार होकर दिनांक 24.11.2017 को प्राप्त हुई, नकल प्राप्त होते ही अपीलान्ट द्वारा अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर जानकारी से अन्दर मियाद उक्त अपील प्रस्तुत की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया गया है जबकि अपीलान्ट के उक्त भूमि में हित निहित है इसलिये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 17/2016 बउनवानी गुलाबदास बनाम तहसीलदार सीकर में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.04.2016 को अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि ग्राम कस्बा सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2053–2056 के खाता संख्या 3 में खसरा नम्बर 1676 1677, 1675 के नीचे अंकित चाह कुऑ गुलाबदास जी अंकित है सम्वत 2057–2060 की जमाबन्दी बनाते समय खसरा नम्बर 1675 के नीचे अंकित चाह कुऑ गुलाबदास जी का अंकित सहवहन से नही हुआ है एवं सम्वत् 2061–2064 की जमाबन्दी बनाते समय खसरा नम्बर 1677 के नीचे बगीची गुलाबदास जी का अंकन सहवन से नही हुआ, वर्तमान जमाबन्दी में भी खसरा नम्बर 1675 व 1677 की नीचे कोई अंकन नही है इसलिये खसरा नम्बर 1675 के नीचे चाह कुऑ बगीची गुलाबदास जी सीकर और खसरा नम्बर 1677 के नीचे बगीची गुलाबदास जी का अंकन किया जाना जरूरी है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक आवेदन शुद्धि बाबत दिनांक 31.12.2015 को पेश किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सीकर द्वारा मांगी थी जिसमें पटवरी हल्का कस्बा सीकर द्वारा दिनांक 08.02.2016 को जॉच कर जॉच रिपोर्ट तहसीलदर सीकर के यहॉ पेश की थी उक्त रिपोर्ट के आधार

संभागीय आयुक्त
जयपुर

के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 1675 व 1677 के नीचे बगीची गुलाबदास जी का नाम शुद्ध किये जाने हेतु प्रस्तावित किया था तथा आवेदन पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित कृषि भूमियों में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गुलाबदास जी की बगीची का अंकन राजस्व कर्मचारियों से सहवन से हुई भूल का नतीजा है जिसे दुरूस्त किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न्यायोचित है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि मौके पर रेस्पोडेन्ट गुलाबदास जी की बगीची सम्पूर्ण कृषि भूमियों पर काबिज है, उक्त कृषि भूमियों में सांडशाला, पक्षीशाला, गौशालस, मन्दिर, समाधियॉ स्थित है किन्तु राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि से भविष्य में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बगीची के हितों पर विपरित प्रभाव पड़ सकता है तथा रेस्पोडेन्ट को राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से की गई, उक्त गलती को सुधरवाने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है इसलिये रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सीकर से प्राप्त रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन एवं परीक्षण करके ही अपीलाधीन आदेश परित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हम्ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है तथा वादग्रस्त अराजी से अपीलान्ट के हित प्रभावित होने से एवं अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित ही किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. भी स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि प्रथम तो वादग्रस्त आराजी नगर पालिका के क्षेत्र में होने से नगर पालिका प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थी किन्तु अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया है जिससे अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहा है द्वितीय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एक समरी प्रोसिडिग्स है जिसमें माध्यम से केवल मात्र लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त कराया जा सकता है जबकि वादग्रस्त आराजी में यदि पक्षकारान के किसी प्रकार के हक, हकूक निहित है तो इसके लिये पक्षकारान को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर अपने वांछित अनुतोष हेतु चाराजोही करनी चाहिये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.04.2016 पारित किया गया है जिसे

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.04.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।